न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

प्रकरण संख्या:– 01/2016 (रैफरेन्स)

[illegible] पुत्र लक्खीराम जाति लोधा निवासी सुपावस तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

सायल

बनाम

1. मोहनसिंह पिसर मुतवन्ना मुस0 नारायनी
2. दिगम्बर सिंह पुत्र कमलसिंह
3. लटूर सिंह पुत्र रोशनलाल

} जाति लोधा निवासी सुपावास तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

गैर सायल

रैफरेंस अंतर्गत धारा 82 व 9 एलआरएक्ट बाबत निरस्त किये जाने नामान्तरकरण संख्या 227, 810, 811 वाकै ग्राम सुपावस तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

उपस्थित :
1. श्री गोविन्दसिंह डागुर वकील सायल।
2. श्री नीरपालसिंह वकील गैर सायल।

दिनांक : 2.11.2017

निर्णय
प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि बिना किसी आदेश के साविक ख0नं0 446 रकबा 6 बीघा 16 विस्बा में से 15 विस्बा रकबा पर नामान्तरकरण संख्या 227 तारीख 8.5.73 से गैर खातेदारी के इन्द्राज सम्वत 2029 लगायत 2032 की जमाबन्दी में गैर सायल संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिये तथा किस्म परिविर्तित कर खातेदारी दर्ज कर दी गई। नामान्तरकरण 227 के बाद सभी इन्द्राजात विधिविरूद्ध है इसलिऐ नामान्तरकरण संख्या 227, 810, 811 वाकै ग्राम सुपावस तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर। निरस्त किये जावे।

वकील उभयपक्ष उपस्थित। दौराने सुनवाई प्रार्थना पत्र प्राथमिक एतराज पर वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील गैर सायल के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक एवं विधिक आपत्ति दिनांक 26.10.2016 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि सायल के द्वारा यह रैफरेंस नामा0 संख्या 227,810,811 वाकै ग्राम सुपावस तह0 कुम्हेर के विरूद्ध एक ही संयुक्त रैफरेंस पेश किया है जबकि नामा0 पृथक–पृथक के विरूद्ध पृथक–पृथक रैफरेंस किये जाने का प्रावधान नियमों के अंतर्गत है। प्रस्तुत रैफरेंस

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

दिए गए और विवादित रकबा की किस्म परिवर्तित करने के आदेश पर

के विरूद्ध होने के कारण चलने योग्य नहीं है। यह रैफरेंस करीब 40 वर्षों से भी अधिक का एक लम्बा अर्सा गुजर जाने के बाद प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई ठोस कारण अथवा शपथ–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिऐ यह रैफरेंस मियांद बिन्दु पर ही निरस्त योग्य है। उनका यह भी कथन है कि इन्तकाल नम्बर 810 के जरिये हाल खसरा नम्बर 656/0.20 मेसे 15/20 हिस्सा इन्द्राज गैर सायल संख्या 2 के नाम व इन्तकाल संख्या 811 के जरिये हाल खसरा नम्बर 655/0.22 मेसे 10/22 व 656/0.20 मेसे 5/20 हिस्सा का इन्द्राज गैर सायल संख्या 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया है और उसी आराजी को गैर सायल संख्या 2 व 3 द्वारा जरिये बयनामा खरीद किया है। यह आराजी गैर सायल संख्या 1 के पूर्वजो से प्राप्त खातेदारी की आराजी रही है। तथा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल बन्दोवस्त विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 655/0.22 को साविक खसरा नम्बर 488/1.13 से तथा हाल खसरा नम्बर 656/0.20 को साविक खसरा नम्बर 489/1.00 से बनाया गया है जिसका सालय ने अपने रैफरेंस में कोई हवाला नहीं दिया है। वास्तव में ख0नं0 488 व 489 कभी गै0मु0 रास्ता की आराजी नहीं रही है। मुताबिक नक्शा हाल खसरा नम्बर 655/1031 व 656/1032 भी कहीं रास्ते के चपेटमा नहीं है बल्कि हाल खसरा नमबर 654,655,656,657 के मध्य में स्थिति है जिसमें से ख0नं0 655, 656 गैर सायल संख्या 1 से गैरसायल संख्या 2 व 3 को हस्तान्तरित हुये है। मौके पर कोई रास्ता न है न कभी था। न ही मौके पर कोई रास्ता अवरूद्ध होने जैसी स्थिति है। इसके अलावा यह रैफरेंस सार्वजनिक हितार्थ की कह कर व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना से पेश किया गया है ताकि इस आराजी पर सायल द्वारा कब्जा किया जा सके।

प्राथमिक एतराज के प्रतियुत्तर में वकील सायल का कथन है कि भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 एवं 9 के अंतर्गत प्रस्तुत रैफरेंस में प्रारम्भिक एतराज पर सुनवाई का कोई प्रावधान नहीं है। गुणावगुण के आधार पर ही अन्तिम बहस प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर पारित की जानी विधिसम्मत रहती है। उनका यह भी कथन है कि साविक खसरा नम्बर 446 रकबा 6 वीघा 16 विस्बा गै0मु0 रास्ता सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिसमें से 15 विस्बा आराजी गैर सायल संख्या 1 के हक में नामान्तरकरण संख्या 227 से गैर खातेदारी में अंकित की गई है जबकि सार्वजनिक उपयोग की भूमि को जरिये नामान्तरकरण खातेदारी प्रदान किया जाना प्रचलित कानून के प्रावधानों के विरूद्ध रहता है। उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 446 से खसरा नम्बर 655, 656 बने है। सार्वजनिक गै0मु0 रास्ता की आराजी पर नियमों के विरूद्ध नामान्तरकरण गैर सायल संख्या 1 के हक में स्वीकृत किया गया है जिसके पश्चात नामान्तरकरण संख्या 810, 811 भी स्वीकृत किये गये है जब मूल नामान्तरकरण ही निरस्त योग्य है तो उसके पश्चात स्वीकृत नामान्तरकरण 810,811 भी निरस्त योग्य रहते है। वकील गैरसायल का यह कहना कि उनके द्वारा विवादित आराजी पंजीकृत बयनामे से गैरसायल संख्या 2 व 3 के नाम आयी है इसलिऐ संयुक्त रैफरेंस चलने योग्य नही है गलत रहता है। प्रार्थना पत्र गैरसायल प्राथमिक एतराज इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष की के वकीलों की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया गया गया। रैफरेंस सायल के द्वारा यह रैफरेंस प्रा0पत्र विवादित आराजी सार्वजनिक उपयोग की गैर मुमकिन रास्ता की मानते हुये सार्वजनिक हित में प्रस्तुत किया जाना प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है। जबकि रैफरेंस सायल के द्वारा रैफरेंस निजि हैसियत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

दिए गए और विवादित रकबा की किस्म परिवर्तित करने के आदेश कर दिए

प्रस्तुत किया गया है । रैफरेंस में विवादित आराजी जनसाधारण के उपयोग में काम मौका का कोई अंकन नहीं किया गया है। न ही उनके साथ कोई अन्य पक्षकार है। इसके अतिरिक्त नियमों के अंतर्गत संयुक्त रैफरेंस प्रस्तुत किये जाने कोई प्रावधान होने का भी कोई संतोषजनक आधार रैफरेंस प्रार्थी के द्वारा दौराने बहस हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही रैफरेंस प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में विवादित आराजी वर्ष 1973 में स्वीकृत गैर खातेदारी के नामान्तरकरण संख्या 227 दिनांक 8.5.73 को निरस्त कराने हेतु 40 बर्षों के एक लम्बे अर्से के बाद इतनी बिलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के बारे में कोई संतोषजनक कथन/शपथ–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। वकील गैर सायल के कथनों से हम सहमत है कि प्रार्थी के द्वारा रैफरेंस प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर एवं प्रचलित कानून के प्रावधानों के विपरीत संयुक्त रैफरेंस पृथक–पृथक नामान्तरकरणों के विरूद्ध एक ही प्रस्तुत किया गया है जो गलत तथ्यों पर एवं एक 43 साल का लम्बा अर्सा गुजार जाने के उपरान्त पेश किया है। व्यक्तिगत रैफरेंस/ 43 साल के बाद/विभिन्न नामान्तकरणों का एक ही संयुक्त रूप से प्रस्तुत किये गये रैफरेंस को हम उचित नहीं पाते है। लिहाजा वकील गैर सायल के प्रारम्भिक एतराज स्वीकार किया जाना ही न्यायसंगत एवं विधिसम्मत पाते है।

अतः उपरोक्त विवेचानानुसार प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार की जाती है। तथा प्रस्तुत रैफरेंस नया रैफरेंस पेश करने की स्वतन्त्रता के साथ इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। सायल रैफरेंस प्रस्तुतीकरण के नियमों के परिपेक्ष्य में पुनःविधिपूर्ण तरीके से रैफरेंस प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रहेगे है।

आज्ञा सुनाई गयी ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर

दिए गए और विवादित रकवा की किस्म परिवर्तित करने के आदेश कर दिस